संख्या-552/2018/2734/22-2-2017-17(652)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 19 जुलाई, 2018***

विषय:- जिला कारागार, शाहजहांपुर में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी रामकिशोर पुत्र श्री मेवाराम निवासी जनपद-शाहजहांपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-35977/प्रोबेशन-7/सीमित सजा(एम-06.09.2016) दिनांक 04.10.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, शाहजहांपुर में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी रामकिशोर पुत्र श्री मेवाराम, जो-मो0 नई बस्ती, कस्बा व थाना-तिलहर, जनपद-शाहजहांपुर का रहने वाला है। दहेज मे टी0वी0, घडी, एवं 10,000/रूपया की मांग पूरी न होने पर बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 11.03.2001 को समय लगभग 04:00 बजे अपनी पत्नी को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-549/2001 में भा0द0वि0 की धारा- 498ए, 306 व 4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट सं0-3), शाहजहांपुर के आदेश दिनांक 25.07.2012 द्वारा 10 वर्ष के कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2016 तक 05 वर्ष 09 माह 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 07 वर्ष 00 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रामकिशोर पुत्र श्री मेवाराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रामकिशोर (बन्दी संख्या-2200/12) पुत्र श्री मेवाराम निवासी जनपद-शाहजहांपुर के फार्म-ए पर यू0पी0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल के निर्णयोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-552/2018/2734(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, शाहजहांपुर।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-552/2018/2734/22-2-2017-17(652)/2017

दिनांक 19 जुलाई, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

जिला कारागार, शाहजहांपुर में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी रामकिशोर पुत्र श्री मेवाराम, जो-मो0 नई बस्ती कस्बा, थाना-तिलहर, जनपद-शाहजहांपुर का रहने वाला है। दहेज मे टी0वी0, घडी, एवं 10,000/रूपया की मांग पूरी न होने पर बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 11.03.2001 को समय लगभग 04:00 बजे अपनी पत्नी को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-549/2001 में भा0द0वि0 की धारा- 498ए, 306 व 4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट सं0-3), शाहजहांपुर के आदेश दिनांक 25.07.2012 द्वारा 10 वर्ष के कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2016 तक 05 वर्ष 09 माह 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 07 वर्ष 00 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रामकिशोर पुत्र श्री मेवाराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत श्री राज्यपाल के निर्णयोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।